

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर

:: आदेश ::

क्रमांक 354 / स्था0सैट / 2019

जबलपुर, दिनांक 4.11.19

श्रीमती महारुख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड-क के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र फार्म-28 में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2019 को स्वीकार करते हुये उन्हें दिनांक 04.11.2019 (अपरान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

sd
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृ0क्रमांक 355 / स्था0सैट / 2019

जबलपुर, दिनांक 4.11.19

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रिसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर को उनके पत्र क्र. प्रशा. /02-पी (सैट)/1910, इंदौर दिनांक 04.10.2019 के संबंध में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस रजिस्ट्री को अवगत कराने का कष्ट करें कि श्रीमती महारुख जिल्ला, निजी सचिव उच्च न्यायालय पूल अथवा कमिश्नर पूल के आवास में निवासरत है, जिससे उनके द्वारा शासकीय आवास को रखे जाने संबंधी निवेदन पर विचार किया जा सके।
- 2- रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 3- सीनियर प्रिसिपल सिस्टम एनालिस्ट (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु।
- 4- जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 5- रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 6- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर/इंदौर।
- 7- कोषालय अधिकारी, इंदौर।
- 8- प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर।
- 9- सहायक स्थापना/लेखा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर/इंदौर।
- 10- श्रीमती महारुख जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खंडपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

US Dubey 4/11/2019
(यू.एस.दुबे)
रजिस्ट्रार-कम-पी.पी. एस.